स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
आरईसी लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) क विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात ''स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों'' के रूप में संदर्भित) सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देते हैं और कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में स्टैंडअलोन परिवर्तन और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके स्टैंडअलोन नकद प्रवाह तथा इसके सार की स्टैंडअलोन स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

1. हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 48.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा आश्वासन पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संबंध में, हमने हानि भत्ता के अनुसार निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, जहाँ तक इसका प्रबंधन ओवरले के रूप में हानि भत्ता का पता लगाने का सवाल है यह कंपनी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी और प्रबंधन के निर्णय द्वारा विचार किए गए तकनीकी पहलुओं/मापदंडों से संबंधित है।

2. हम कंपनी पर महामारी कोविड–19 के प्रभाव के संबंध में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 50 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन का यह मत है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि महामारी से एक चालू संस्था के रूप में कंपनी की क्षमता पर कोइ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भविष्य में महामारी में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रभाव अनिश्चित है और यह भावी वर्षों में क्षति भत्ते को प्रभावित कर सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले ("केएएम") वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता -** (लेखांकन नीति सं. 3.11 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 48.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/रूपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है:** क) भारतीय लेखांकन मानक 109 ''वित्तीय लिखत'' के उपबंधों के अनुसार, हमने बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा को सत्यापित किया है। ख) वसूली/निष्पादन पहलुओं की निगरानी के संबंध में कुल ऋण के बड़े हिस्से को शामिल करते हुए नमूना जांच के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन और उस पर प्रबंधन की धारणा पर विचार करते हुए ऋण हानि का आकलन। ग) मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हुए वसूलियों का सत्यापन किया जाता है। ऋण शेष की पुष्टि की जाती है और प्रमुख नियंत्रण मापदंडों के साथ उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>मुख्य लेखापरीक्षा मामला</th><th>लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td>क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है।

क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्य निरूपित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा क्षति प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है।

चूंकि कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते वित्तपोषण के कारोबार में शामिल है और यदि उपरोक्त वर्णित किसी भी महत्वपूर्ण पैरामीटर/मानदंड/मान्यताओं को अनुचित तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर वास्तविक तौर पर प्रभावित कर सकता है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए अर्थात् कुल परिसंपत्ति के 90.62%, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में समझा गया है।</td><td>घ) ऋण परिसंपत्तियों के निष्पादन में हानि के आधार पर मूल्यांकन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है, इन दस्तावेजों में ऋण पत्र, वित्तीय डेटा, मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, सावधिक वित्तीय जानकारी, पब्लिक डोमेन पर जानकारी, प्रबंधन द्वारा लागू प्रक्रिया अर्थात् ऋणों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन, उधारकर्ता के पिछले रिकॉर्ड का आकलन करना आदि शामिल है। ऋण परिसंपत्तियों में होने वाली वसूलियों को सत्यापित किया जाता है, ताकि उसके दबाव स्तर और वित्तीय विवरण पर क्षति भत्ते के रूप में प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके।

ङ) हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है।

च) हम, बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए क्षति भत्ते के अध्ययन में घटक और गणना पर विश्वास करते हैं और उसके लिए परीक्षण जांच की जाती हैं। इस तरह के घटक उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, डिफॉल्ट/ऋण की चूक की संभावना की गणना आदि हैं। बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट पर निर्भरता को देखते हुए इसमें हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया सीमित है।

छ) इसके अलावा, प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक कार्यप्रणाली का पालन करते हुए बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट में क्षति भत्ते की समीक्षा करता है और प्रत्येक मामले के आधार पर क्षति को बढ़ाता/घटाता है। प्रबंधन ओवरले के रूप में हमने इस तरह के बदलावों के लिए प्रबंधन से एक विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रबंधन के मूल्यांकन पर मजबूर है और हम उस पर भरोसा करते हैं।

ज) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019–20 के अनुसरण में आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों (आईआरएसीपी) के संदर्भ में आवश्यक प्रावधान की राशि के साथ ईसीएल की तुलना।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन
(लेखांकन नीति सं. 3.10 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के टिप्पणी सं. 8 के संदर्भ में)

विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी के प्रकटन को कम करने के लिए, गैर–भारतीय रुपये नकदी प्रवाह को मॉनीटर किया जाता है और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न अनुबंध किए जाते हैं।

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू कर दिया है, जिनमें कुछ व्युत्पन्न अनुबंधों को 'नकदी प्रवाह बचाव' संबंधों में हेजिंग लिखतों के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। इन व्यवस्थाओं को, विदेशी मुद्रा में नामित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए दर्ज किया गया है।

व्युत्पन्नों को भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन व्युत्पन्नों पर बाजार लाभ/हानि के चिह्न को नकदी प्रवाह हेजेज के लिए अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता दी गई है।

वित्तीय विवरणों के महत्व और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हमने इसकी मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।</td><td>इस संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रिया को लागू किया है।
क) जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी के प्रबंधन की अवधारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और उसे समझना। व्युत्पन्न लेन–देनों का उद्देश्य अध्ययन करना और देखना कि यह अंतर्निहित जोखिम व्युत्पन्नों की मात्रा से अधिक न हो।

ख) भारतीय लेखांकन मानक 109 के संदर्भ में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन

ग) व्युत्पन्न लेन–देनों की सटीकता एवं पूर्णता का परीक्षण।

घ) वर्गीकरण, मूल्यांकन और व्युत्पन्न लिखतों के मूल्यांकन प्रतिरूपों पर प्रबंधन के मुख्य आंतरिक नियंत्रण।

ङ) 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार से बकाया विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों का ब्योरा प्राप्त करना।

च) ऐसे वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्य के प्राक्कलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन।

छ) हमने उन बैंकों से पुष्टि भी प्राप्त की हैं जिनके पास ऐसे वित्तीय विवरणों को दर्ज किया गया है तथा अनुबंधित बैंकों द्वारा प्राप्त मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से तुलना की है।

ज) इसके अतिरिक्त, नकदी प्रवाह हेजेज के लिए हमने अन्य व्यापक आय में बाजार आधारित लाभ/हानि चिह्न के लेखांकन को सत्यापित किया है।

प) यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण प्रकटन विद्यमान लेखांकन मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में व्युत्पन्न मूल्यांकन जोखिमों हेतु समुचित रूप से कंपनी का प्रकटन करते हैं।</td></tr>
</table>

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक से भिन्न सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल और प्रबंधन अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल है, किंतु इसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

जब हम ऐसी अन्य जानकारी पढ़ते हैं तब यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो यथासंशोधित कंपनी ("भारतीय लेखांकन मानक") नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की एक पारदर्शी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने और इसका अनुरक्षण करने, जो वित्तीय दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में कार्य कर रहे हों, और जो स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में संगत हों, जो एक सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हों, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित वित्तीय रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कंपनी की वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय संसूचन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग–अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, उसके कारण उचित रूप से उन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम कारोबारिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान कारोबारिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- खुलासों सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का वह परिमाण, जिससे एकल या सामूहिक रूप से, यह संभावना उत्पन्न होती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण होता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने मेंय और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी अभिचिह्नित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन का उत्तरदायित्व दिए गए सभी व्यक्तियों को, अन्य मामलों के साथ–साथ, योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की अवधि और आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण खामियों जिनकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं सहित, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों की सूचना देते हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा यथा अपेक्षित, और हमारे द्वारा उचित समझे गई कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हमने **अनुलग्नक-क** में, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, यथा संभव लागू, एक विवरण प्रस्तुत किया है।
2. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमनें अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों पर **अनुलग्नक-ख** के रूप में अपनी रिपोर्ट संलग्न की है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी और नकद प्रवाह विवरण में परिवर्तन के विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरण, संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

छ) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में कृपया हमारी पृथक रिपोर्ट "**अनुलग्नक-ग**" में देखें।

ज) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर463(ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।

झ) यथा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों में, अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है – स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 43 के संदर्भ में;

(ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसमे कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं किया गया है।

(iv) (क) प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पण संख्या 9.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यवर्तियों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्पूर्ण हो) का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है;

(ख) प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 9.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("वित्तपोषक पक्षकार") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि कंपनी, वित्तपोषक पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्पूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार संगत और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत और उपरोक्त (क) और (ख) के तहत उपबंधित अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलतबयानी है।

(v) इस रिपोर्ट की तारीख तक समूह द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किए गए लाभांश (अंतरिम और अंतिम) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में हैं।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.	**मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन	आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091
नाम: एस. के. मित्तल	**नाम : राकेश कुमार**
पदनाम: भागीदार	पदनाम: भागीदार
सदस्य संख्या: 008506	सदस्य संख्या: 087537
यूडीआईएन: 22008506एआईवाईजेडीडी9001	यूडीआईएन: 22087537एआईवाईजीएलए6237

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक :13 मई 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों तथा सामान्य लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा जांची गई लेखा बहियों और अभिलेखों के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि:

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

(क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी का संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है ताकि सभी परिसंपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा सके, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(ग) कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के अंतर्गत शामिल वित्तीय विवरण में यथा–प्रकट सभी अचल संपत्तियों (ऐसी संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा करारों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

(₹ करोड़ में)

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर धारित है	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	जिस अवधि से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन	4.59	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताएं, स्कोप, केंद्र सरकार का परिसर, में कंपनी को आबंटित कार्यालय फ्लैट कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के विरूद्ध बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (वर्ष 2016 में संशोधित) और इसके अधीन बनाए गए नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (क) कंपनी की कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी को वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थान से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की अप्रतिभूत कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। चूंकि, सीमाओं को अप्रतिभूत के रूप में स्वीकृत किया गया है, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii. वर्ष के दौरान कंपनी ने, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी फर्मों या किसी अन्य पक्षकार में/को प्रतिभूत/प्रतिभूत, निवेश किया है, गारंटी प्रदान की है और ऋण की प्रकृति में ऋण/अग्रिम प्रदान किया है। इस संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

(क) कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक पंजीकृत एनबीएफसी है, जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, इसलिए आदेश का खंड 3 (iii) (क) लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी तथा ऋण और गारंटी की प्रकृति में प्रदान किए गए सभी ऋणों और अग्रिमों की निबंधन और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) एक पंजीकृत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते, कंपनी मूलधन और ब्याज की चुकौती के लिए निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर अपने ऋण की अदायगी करती है। ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों को छोड़कर, ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज की प्राप्तियां आमतौर पर नियमानुसार नियमित हैं।

(घ) हम रिपोर्ट करते हैं कि ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के रूप में प्रावधान करने के लिए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का पालन किया गया है। निर्धारित देय तिथि से 90 दिनों से अधिक के लिए चुकौती में देरी के परिणामस्वरूप लेखा को ऋणग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष के अंत में 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय राशि निम्नानुसार है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कदम उठाती है जो हमारी राय में उचित है। चूंकि, कंपनी एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, बकाया देय में अतिदेय होने की घटना को सामान्य माना जाता है।

(₹ करोड़ में)

मामलों की संख्या	अतिदेय मूल राशि	अतिदेय ब्याज*	कुल अतिदेय	टिप्पणी (यदि कोई हो)
25	8,727.87	16,647.21	25,375.08	-

**कंपनी की लेखा नीतियों और परिपाटियों के अनुसार विवेकी मामले के रूप में आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।*

(ङ) आदेश के खंड 3 (iii) (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी का मुख्य कारोबार के लिए ऋण प्रदान करना है।

(च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम, मांग पर चुकाने योग्य या किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना प्रदान नहीं किया है। इसलिए, खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में और अधिनियम की धारा 185 के उपबंधों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 185 के तहत कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की है।

इसके अतिरिक्त, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, एक एनबीएफसी होने के नाते, अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों तथा ऋण और गारंटी के संबंध में संगत नियमों से छूट प्राप्त है। निवेश के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 186(1) के उपबंधों का अनुपालन किया है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या अन्य प्रासंगिक उपबंध और इसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं।

vi. एक एनबीएफसी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेख बनाए रखने के संबंध में आदेश का खंड 3 (vi) लागू नहीं होता है।

vii. (क) हमारी जांच और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय, जो उपयुक्त प्राधिकरण में उस पर लागू होते हैं, सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में आम तौर पर नियमित है। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया में कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं था।

(ख) हमें दी गई और प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित जानकारी और स्पष्टीकरण, जिस पर हमने विश्वास किया है, के अनुसार, कुल ₹ 103.41 करोड़ के आयकर की बकाया राशि विवाद के कारण जमा नहीं की गई है आपत्ति के तहत जमा नहीं की गई है और मामले उपयुक्त प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	विवादित राशि	समायोजित भुगतान की गई राशि/धनवापसी	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम, जिसमें विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.30	0.30	-	निर्धारण वर्ष 2008–09	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.32	0.32	-	निर्धारण वर्ष 2012–13	सीआईटी (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.83	0.83	-	निर्धारण वर्ष 2012–13	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	87.68	6.44	81.24	निर्धारण वर्ष 2018–19	सीआईटी (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	64.74	42.60	22.14	निर्धारण वर्ष 2019–20	सीआईटी (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	0.03	-	0.03	—	सीपीसी, टीडीएस
वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017	वस्तु और सेवा कर का भुगतान	17.89	17.89	-	वित्तीय वर्ष 2017–18	आयुक्त (अपील), सीजीएसटी दिल्ली अपील
जोड़		**171.79**	**68.38**	**103.41**		

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई विगत अलेखबद्ध आय के संबंध में कोई लेनदेन नहीं था।

ix. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों की अदायगी में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं की गई है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई निधि प्राप्त नहीं की है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों के रेहन पर कोई ऋण नहीं जुटाया है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऋण लिखतों और सावधि ऋणों के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए इसे जुटाया गया था।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

xi. (क) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन परिपाटियों के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। हालांकि, वर्ष के दौरान कंपनी के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा ₹0.04 करोड़ का एक झूठा चिकित्सा दावा सामने आया और रिपोर्ट किया गया।

(ख) जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथानिर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी को किसी व्हिसल ब्लोअर (सूचना प्रदाता) से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) (क) से (ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार, अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में हैं और स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण आदि में लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा–अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।

xiv. (क) हमारी राय में कंपनी में व्यापक तौर पर अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और इस तारीख तक, कंपनी को लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के लिए जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xi. हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर– नकदी संव्यवहार नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपबंध, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (क) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के तहत एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी को जारी पंजीकरण संख्या 14.000011 है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवासन वित्तीय गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xvi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) हमारी राय में, समूह में कोई कोर निवेश कंपनी (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी को हमारी लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

xix. वित्तीय अनुपात, काल प्रभावन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और पूर्वानुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलनपत्र में मौजूद अपनी देनदारियों, जब वे देय हों, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो ऐसी कोई गारंटी देते हैं और न ही ऐसा कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों, जब वे देय होती हैं, को कंपनी द्वारा अदा कर दिया जाएगा।

xx. चल रही परियोजनाओं या चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

xxi. आदेश का खंड 3 (xxi) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन

नाम : एस. के. मित्तल
पदनामः भागीदार
सदस्य संख्याः 008506
यूडीआईएनः 22008506एआईवाईजेडीडी9001

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

नाम : राकेश कुमार
पदनामः भागीदार
सदस्य संख्याः 087537
यूडीआईएनः 22087537एआईवाईजीएलए6237

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022

अनुलग्नक-I

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ख

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 के संदर्भ में।

क्रम सं.	दिशानिर्देश	कृत कार्रवाई	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क.	**दिशानिर्देश**		
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देनों की प्रक्रिया करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन–देनों की प्रक्रियाओं के प्रभाव बताए जाएं।	कंपनी आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन देन ओरेकल ईआरपी आर 12 संस्करण द्वारा किया है। क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों सहित पूरा लेखांकन केंद्रीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2.	क्या ऋण का पुनर्भुगतान करने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा दिए गए मौजूदा ऋण/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्निधारण है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखाबद्ध किया जाता है? (अगर, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो क्या यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	ऐसा कोई मामला नहीं था और कंपनी लगातार अपने ऋण तथा उधार के दायित्वों को पूरा करती आ रही है। इसके अलावा, कंपनी ने सही तरीके से उन मामलों को लेखाबद्ध किया है जहां कंपनी द्वारा दिए गए किसी ऋण का पुनर्गठन किया गया हो।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि)का समुचित रूप से हिसाब रखा गया था/निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	कंपनी ने उपयोग के लिए केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं की हैं। तथापि, कंपनी को विभिन्न एजेंसियों की निर्दिष्ट योजनाओं के अनुसार इसके संवितरण के लिए सरकार से निधि प्राप्त होती है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन

नाम: एस. के. मित्तल
पदनामः भागीदार
सदस्य संख्याः 008506
यूडीआईएनः 22008506एआईवाईजेडीडी9001

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

नाम : राकेश कुमार
पदनामः भागीदार
सदस्य संख्याः 087537
यूडीआईएनः 22087537एआईवाईजीएलए6237

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022

अनुलग्नक-II

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार हमने आरईसी लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का अनुपालन किया है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन

नाम: एस. के. मित्तल
पदनामः भागीदार
सदस्य संख्याः 008506
यूडीआईएनः 22008506एआईवाईजेडीडी9001

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

नाम : राकेश कुमार
पदनामः भागीदार
सदस्य संख्याः 087537
यूडीआईएनः 22087537एआईवाईजीएलए6237

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ग

अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2022 के अनुसार **आरईसी लिमिटेड** कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग–निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग–निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग–दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकिः

(क) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(ख) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे राय में, कंपनी के सभी वास्तविक पहलुओं को छोड़कर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनको कंपनी के 31 मार्च, 2022 के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 001135एन

नाम: एस. के. मित्तल
पदनामः भागीदार
सदस्य संख्याः 008506
यूडीआईएनः 22008506एआईवाईजेडीडी9001

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एवं कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

नाम : राकेश कुमार
पदनामः भागीदार
सदस्य संख्याः 087537
यूडीआईएनः 22087537एआईवाईजीएलए6237

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 13 मई 2022